



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 कार्तिक 1940 (श10)

(सं0 पटना 990) पटना, मंगलवार, 20 नवम्बर 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

20 नवम्बर 2018

एस० ओ० 272, दिनांक 20 नवम्बर 2018— बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 10, 2011) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

1. अनुसूची में, -

(i) क्रमांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा :-

"2	बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के अधीन निबंधित व्यवसायी या केवल केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का 74) के अधीन निबंधित व्यवसायी या बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 12) के अधीन निबंधित व्यवसायी	रु० दो हजार पाँच सौ सौ प्रति वर्ष"
----	--	------------------------------------

2. यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-10/2015-5080)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

20 नवम्बर 2018

एस० ओ० 272 दिनांक 20 नवम्बर 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/संशोधन-10/2015-5080)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 20th November 2018

S.O. 272 , Date 20th November, 2018— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of The Bihar Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2011 the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the schedule appended to the said Act, namely :-

1. In the Schedule,-

(i) for Serial. No. 2 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be substituted, namely: -

"2	Dealers registered under the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) or Dealers registered only under the Central Sales Tax Act, 1956 (74 of 1956) or Dealers registered under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Act 12 of 2017)	Two Thousand and Five Hundred Rupees per annum"
----	---	---

2. This notification shall come into force with effect from the date of its issuance.

[(File No. Bikri kar/Sansodhan -10/2015-5080)]

By order of the Governor of Bihar,

DR. PRATIMA,

Commissioner State Tax-cum-Secretary,

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 990-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>